


21. 11/15 पत्रावली भाज पेश हुई। प्रयोग व उनके  
वकील अनुपासित। न्यायालय समय में रुक-  
रुक कर तीन बार आवेपे लगाई गई अवजूड  
प्रयोग व उनके वकील गैर हाजिर रहे  
अतः पत्रावली गैर हाजिरी एवं डिफरेंस  
में वारिज की जाती है। पत्रावली फुल  
शुमार होकर डाखिले इफ्तार हो। खानम

  
अधीक्षक अधिकारी  
चौहान